आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मुंगेर

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-11/2018-19

राज्य

बनाम

श्रीमती गायत्री देवी, जौ0-सुरेश यादव एवं अन्य

आदेश

09.X.18

प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, मुंगेर के पत्रांक 445 दिनांक- 20.08.2018 द्वारा जमावंदी रद्दीकरण 11/2018-19 राज्य बनाम् श्रीमती गायत्री देवी एवं अन्य का अभिलेख टोपो लैंड की जमाबन्दी रद्द करने हेतु जो अंचलाधिकारी सदर मुंगेर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा-जमालकिता, तौजी नं0-446 एवं 450, खाता+खेसरा-टोपो से संबंधित भूमि जिसका जमाबंदी नं0-क्रमशः 322, 240, 205, 48/303 एवं 292 पर श्रीमती गायत्री देवी जौ0-सुरेश यादव, सा0-लाल दरबाजा एवं 04 (चार) अन्य का नाम पंजी-2 में दर्ज है जिसे अनुशंसा के साथ जमावन्दी रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत वाद को दिनांक-24.08.2018 को अंगीकृत करते हुए राज्य की ओर से टोपो लैंड के दावाकर्त्ता को नोटिस इस आशय से दिया गया कि वे अपने दावे के समर्थन में आवश्यक कागजात प्रस्तुत कर दावा सिद्ध कर सकते हैं। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दिनांक-28.09.2018 को मौखिक बहस किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह विदित कराया गया कि गंगा के गर्भ वाली भूमि सरकार की होती है और गंगा के गर्भ में रहने के कारण उस जमीन को बंगाल सर्वे एक्ट के द्वारा सर्वे नहीं किया जा सका, वह भूमि 'टोपो लैंड' के नाम से जाना गया। प्रश्नगत टोपो भूमि उपरोक्त जमाबंदी रैयत के नाम से कभी सरकार द्वारा बन्दोवस्त नहीं किया गया है एवं खतियान भी तैयार नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि है। इस आलोक में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि उक्त प्रश्नगत् जमीन मौजा-जमालकिता, नगरपालिका के अंदर की जमीन है जो कि टोपो लैण्ड नहीं है। साथ में म्युनिसिपल खतियान भी समर्पित किया है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित भूमि का सर्वे नहीं हुआ है, जिसके कारण केडस्ट्रल खतियान उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा यह भूमि टोपो है।

प्रस्तुत वाद से संबंधित एक मामला तारकदास आचार्य चौधरी वनाम् राज्य सेक्रेटरी (AIR-1935 PC 125) में यह Privy Council द्वारा निर्धारण किया गया कि जिस भूमि का सर्वे नहीं किया गया वह जमीन सरकार की सम्पत्ति मानी जाएगी और सरकार को प्रस्तुत भूमि का स्वत्व एवं दखल कब्जा और हित पूर्णरूपेण प्राप्त है। पूर्व मे अंचल कार्यालय द्वारा जो भी जमावंदी दावाधारियों के पक्ष में सृजित किया गया है वह विधिवत नहीं किया गया है, इसलिए यह वैद्य नहीं है। इस प्रकार जमाबंदी रैयत द्वारा प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में जो भी दस्तावेज दाखिल किया गया है उक्त सभी वादो में राज्य सकरार पक्षकार नहीं है। इसलिए

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	उक्त वादो का निर्णय राज्य सरकार के स्वत्व एवं दखल कबजा को बाधित नहीं करता है। किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी सृजन से उनके पक्ष में स्वत्व का होना नहीं माना जाता है इसलिए जो भी मालगुजारी रसीद प्रस्तुत किया गया है वह तो विधिवत जमाबंदी सृजन के बगैर है। इस परिप्रेक्ष्य में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना विद्वान अधिकवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित भूमि का जमाबंदी वर्षों पहले सृजित की गई है एंव लगान रसीद निर्गत है। इसी के आलोक में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जमाबंदीधारी (प्रतिवादी) की सृजित जमाबंदी को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। उक्त प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए है वह उनके दावे एवं स्वत्व का समर्थन नहीं करता है। दावाधारियों के द्वारा यह भी बहस के दरम्यान कहा गया की उनका दावा कागजातों के अलावे दखल कबजा के आधर पर भी बनता है। सरकार के जमीन पर सरकार की जानकारी में करीब 30 वर्षो से अधिक समय से दावेदार जमीन के दखल में है। इस प्रकार उनका Adverse Position के आधार पर भी स्वत्व अधिकार वनता है। इस संदर्भ में सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस में कहा कि दावाधारियों का Adverse Position के आधार पर कोई दावा नहीं बनता है। क्योंकि दावेदार अपने लिखित अभिकथन में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया है कि किस तारीख को दावेदार सरकार की भूमि पर दखल में आए और किस तारीख को उनका दखल सरकार के खिलाफ Adverse हो गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वे बिना रोक-ठोक के सरकार की जानकारी में प्रश्नगत भूमि पर लगातार बिना किसी टूट के जमीन के दखल में चले आ रहे हैं। सिर्फ मौखिक बहस के आधार पर किसी का दावा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने अपने निर्णय जो 1982 Vol-1 PLJR HC 297 ठाकुर साह बनाम् शिवपूजन वगैरह के केश में इसी तरह का फैसला दिया है कि दावेदारों को सारे तथ्य जिसके आधार पर वे दावा मानते हैं अपने अभिवचन में लाना पड़ेगा, अन्यथा वह विचारणीय नहीं होगा। इस तौर से भी दावेदारों का दावा खारिज होने योग्य है। उक्त प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मुंगेर द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि के चल रहीं जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। इस प्रकार निदेशक भू-अर्जन, बिहार पटना के पत्रांक-652/रा0 दिनांक-8.6.18 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि टोपो लैण्ड/असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि है, जिस पर किसी रैयत विशेष के स्वामित्व/ अधिकार नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए एवं इसी आलोक में भारत के राजपत्र संख्या-1215, दिनांक-18.5.16 में यह अंकित है कि उक्त मौजे की जमीन कृषि टोपो लैण्ड है। उक्त जमाबंदी रैयत (प्रतिवादि)	

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	द्वारा प्रस्तावित भूमि से संबंधित वांछित कागजात यथा केबाला की छायाप्रति, राजस्व रसीद की छायाप्रति तथा अन्य कागजात समर्पित किया है जो कि अभिलेखबद्ध है। विदित हो कि निबंधन कार्यालय सिर्फ दस्तावेजों का निबंधन करता है। दस्तावेजों में वर्णित भूमि के स्वत्व अधिकार एवं दखल कबजा से उसका कोई दखल नहीं है। इस प्रकार यदि कोई निबंधित दस्तावेज निबंधन कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है तो भी राज्य के स्वत्व अधिकार पर उसका कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदीधारित व्यक्तियों का जमाबंदी सृजित होने का कोई आधार नहीं था। अतः खारिज होने योग्य है। उक्त प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मुंगेर द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि के चल रहीं जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। निदेशक भू-अर्जन, बिहार पटना के पत्रांक-652/रा0 दिनांक-8.6.18 द्वारा प्राप्त पत्र में वर्णित है कि टोपो लैण्ड/असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि है, जिस पर किसी रैयत विशेष के स्वामित्व/ अधिकार नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही भारत के राजपत्र संख्या-1215, दिनांक-18.5.16 में यह अंकित है कि उक्त मौजे की जमीन कृषि टोपो लैण्ड है। उक्त जमाबंदी रैयत (प्रतिवादि) द्वारा प्रस्तावित भूमि से संबंधित वांछित कागजात यथा केबाला की छायाप्रति, राजस्व रसीद की छायाप्रति तथा अन्य कागजात समर्पित किया है जो कि अभिलेखबद्ध है। जहाँ तक विपक्षीयों द्वारा केबाला प्रस्तुत करने का सवाल है, इस संदर्भ में यह कहना है कि निबंधन कार्यालय सिर्फ दस्तावेजों का निबंधन करता है। इस प्रकार यदि कोई दस्तावेज निबंधन कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है तो भी राज्य के स्वत्व अधिकार पर उसका कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदीधारित व्यक्तियों का जमाबंदी सृजित होने का कोई आधार नहीं था और न ही नियमानुकुल ही था जो खारिज होने योग्य है। इस संदर्भ में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि विपक्षीयों ने प्रस्तावित भूमि से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं जमाबंदी के सृजन से संबंधित वैधानिक तौर पर दाखिल-खारिज वाद संख्या एवं पारित आदेश के संबंध में काई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतएव उक्त वर्णित तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के अनुशंसा के आधर पर तथा निदेशक भू-अर्जन के पत्रांक 652/रा0, दिनांक 08.06. 2018 द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में एवं पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त मौजा-जमालकीता, तौजी नं0-446 एवं 450, खाता+खेसरा-टोपो, से संबंधित निम्न ब्यौरे की जमीन की चल रही जमाबंदी को बिहार दाखिल खारिज	

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में, टिप्पणी, तारीख के साथ।

अधिनियम 2011 की धारा 09 के तहत् रद्द की जाती है।

<u>जमीन का ब्यौराः-</u>

क्रम सं0	मौजा	तौजी नं0	जमाबंदी रैयत का नाम	खाता+खेसरा	रकवा ए0-डी0	जमाबंदी सं0
1	2	3	4	5	6	7
1	जमालकिता	450	श्रीमती गायत्री देवी, जौ0-श्री सुरेश यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-62.50	322
2	जमालकिता	450	रामोतार सहनी, पे0-तुलसी सहनी, सा0-लालदरवाजा	टोपो	1-09.25	240
3	जमालकिता	446	मसो0 लाछो देवी, जौ0-रामशरण यादव, सा0-लालदरवाज	टोपो	1-04	205
4	जमालकिता	450	राममूर्त्ति यादव, पे0-जामुन यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	1-25	48/303
5	जमालकिता	450	रामकिशुन सहनी, पे0-तुलसी सहनी, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-47	292

इस वाद में पारित आदेश का अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

09/x/18
अपर समाहर्त्ता
मुंगेर।